न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
145 / 2024	07.11.2024	7/7/2025

1. कौशल सिंह पुत्र रामस्वरूप, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
2. भगवानी देवी पत्नी रामस्वरूप, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
3. रघुवीर पुत्र गरीबा, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
4. राजेश कमार पुत्र रामस्वरूप, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर
5. सतीश कुमार पुत्र रामस्वरूप, जाट निवासी श्यारौली तह0 वजीरपुर

——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् दिलवाए जाने रास्ता
तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश चंद शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण कौशल वगैरा ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ख0न0 2196 रकबा 0.85 है0 ग्राम श्यारौली तह0 वजीरपुर मे स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर जाने का एकमात्र मुख्य रिकार्डेड रास्ता ख0न0 2207 ग्राम श्यारौली से होकर सिवायचक, ख0न0 2201 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी एवं ख0न0 2202 रकबा 0.21 है0 किस्म बारी बाके ग्राम श्यारौली मे होकर है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शे मे पीले रंग से दर्शित किया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का जुज रहेगा। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 2196 पर आने जाने व कृषि काश्त करने के लिए साधन को लाने व ले जाने के लिए 16 फिट चौडा रास्ता चाहिए जो सरकारी सिवायचक भूमि ख0न0 2201 व 2202 ग्राम श्यारौली मे होकर निकाले जाने वाली रास्ते की भूमि 16 फिट चौडी डी.एल. सी. की रेट प्रार्थीगण जमा करवाने का तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि ख0न0 2196 ग्राम श्यारौली तक आने जाने व कृषि कार्य के साधन लाने ले जाने के लिए सिवायचक भूमि ख0न0 2201 रकबा 0.17 है0 ख0न0 2202 रकबा 0.21 है0 ग्राम श्यारौली मे से प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मे प्रदर्शित भूमि

बंरग पीला 16 फीट चौडी भूमि रास्ते के लिए दिलवायी जावे तथा लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेशित किया जावे कि वह भूमि ख0न0 2201 व 2202 की भूमि मे से उत्तरी दिशा की ओर ख0न0 2196 व 2200 के लगवा 16 फिट चौडा रास्ता हाल जमाबंदी मे दर्ज करे तथा इसी प्रकार नक्शा ट्रेस मे रास्ता की भूमि अमल दरामद करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 770, 1 ग्राम श्यारौली, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक भूअ/24/1054 दिनांक 12.12.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

तहसीलदार वजीरपुर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2196 रकबा 0.85 वाके ग्राम श्यारौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073—76 में खातेदार कौशलसिंह पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेवा भगवानी देवी पत्नि रामस्वरूप हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेवा रघुवीर पुत्र गरीबा हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेवा राजेश कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेवा सतीश कुमार पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 1/8 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा सेवा के नाम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता रिकार्डेड रास्ते खसरा नम्बर 2207 से होकर खसरा नम्बर 2201 रकबा 0.17 है0 किस्म बारानी 1 एवं खसरा नम्बर 2202 रकबा 0.21 है0 किस्म बारानी 1 सिवायचक भूमि में से खसरा नम्बर 2196 के लिए चाहा गया है। जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। चाहे गये रास्ते की रिकार्डेड रास्ते खसरा नम्बर 2207 से दूरी 90 मीटर है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता नहीं है। सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 2200 की उत्तरी मेड से खसरा नम्बर 2196 की दूरी 80 मीटर है खसरा नम्बर 2200 की उत्तरी मेड से 16 फीट रास्ते का कुल क्षेत्रफल 4198 वर्ग फीट है जो कि चाहे गये रास्ते से कम है। उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे पीली स्याही से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.66 है0 की खातेदारी मुताबिक राजस्व रिकार्ड

जमाबंदी संवत 2073–76 में खातेदार केसन्ती पत्नि बनैसिंह हिस्सा 1/2 जाति जाट सा0 ग्राम खातेदार राहिन केनरा बैंक शाखा श्यारौली झूमा पत्नि प्रहलाद हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। चाहे गये रास्ते पर कोई निर्माण नही है। मौके पर खसरा नम्बर 2201 व 2202 की मेड पर बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है एवं मौके पर खसरा नम्बर 2201 व 2202 की उत्तरी मेड पर बिजली की लाईन खिंची हुई है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 2201 व 2202 में सरसों की फसल है। उक्त खसरा नम्बर में से हुये अतिक्रमण में अतिक्रमियों के खिलाफ भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की रिपोर्ट पेश कर दी गयी है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की लम्बाई 295 फीट है व चौडाई 16 फीट वाद के साथ संलग्न नक्शे अनुसार चाही गयी है जिसका कुल क्षेत्रफल 4720 वर्गफीट है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाकर दिया जाना उचित है। उक्त प्रकरण में किसी भी न्यायालय का स्थगन आदेश वर्तमान तक नहीं है।

बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे सिवायचक भूमि से रास्ता चाहा गया है। राजकीय भूमि से रास्ता निकालने हेतु राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.03(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.2013 द्वारा स्पष्ट प्रावधान दिये गये है। जिसके तहत यदि कोई खातेदार अपनी जोत तक पहुचने के लिए राजकीय भूमि मे से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो ऐसे खातेदार द्वारा ऐसी सुविधा के लिए आवेदन करने पर उपखंड अधिकारी द्वारा जांच करने पर यह समाधान हो जाये कि मार्ग की आवश्यक है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावें। प्रस्तुत प्रकरण मे खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि तक आने जाने हेतु राजस्व रिकार्ड मे कोई रास्ता उपलब्ध नही है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त हेतु सिवायचक भूमि मे से रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भूमि ख0न0 2201 रकबा

0.0293 है0 एवं ख0न0 2202 रकबा 0.0146 है0 भूमि कुल रकबा 0.0439 है0 भूमि रास्ते के रूप में प्रस्तावित की गई है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में भूमि ख0नं0 2200 रकबा 0.66 है0 में होकर निकटतम रास्ता भी बताया गया है। यह भूमि खातेदारी की भूमि है एवं रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शे में इसे ख0नं0 2200 की उत्तरी मेड पर दर्शाया गया है । प्रार्थीगण ने इस नम्बर में होकर रास्ता नहीं चाहा है तथा ख0नं0 2200 में होकर बताए गए रास्ते का मिलान प्रार्थीगण के ख0नं0 2196 के मध्य में होता है। इसलिए इस नम्बर में होकर रास्ता दिया जाना व्यावहारिक नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं रिपोर्ट के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार प्रार्थीगण को ख0न0 2201 रकबा 0.0293 है0 एवं ख0न0 2202 रकबा 0.0146 है0 भूमि कुल रकबा 0.0439 है0 ग्राम श्यारौली में होकर नवीन रास्ता भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका द्वारा अपनी रिपोर्ट में दर्शाई गई नाप के अनुसार दिया जाना एवं राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्रांक प. 03(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.2013 के अनुसार नवीन रास्ते के रूप मे अंकन की जाने वाली भूमि की राशि का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर राशि राजकोष मे जमा कराया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.03(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.6.2013 के क्रम में प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि ख0नं0 2196 ग्राम श्यारौली में पहुंचने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सेवा एवं पटवारी हलका श्यारौली द्वारा नजरी नक्शा में लाल रंग की लाइन से दर्शित ग्राम श्यारौली की खाता संख्या 1 मे अंकित भूमि ख0नं0 2201 में 0.0293 है0 तथा भूमि ख0नं0 2202 में मे 0.0146 है0 कुल 0.0439 है0 भूमि नवीन रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत्त सेवा एवं पटवारी हलका श्यारौली द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा ट्रेस निर्णय का हिस्सा रहेगा। इसके अनुसार रास्ता में आने वाली भूमि गै0मु0रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं नक्शा ट्रेस में नजरी नक्शा के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

कौशल सिंह वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 251(ए) आर0टी0एक्ट

भूमि ख0नं0 2201 व 2202 की भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हलका से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भूमि 0.0439 है0 भूमि रास्ते में आ रही है जिसके लिए प्रार्थीगण रूपये 70240/–/– का दो गुना राशि रू0 140480/– को राजकोष मे जमा कराने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार वजीरपुर को मय नजरी नक्शा भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7/7/2025 को सुनाया गया।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर (स0मा0)